

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

महेन्द्र सिंह बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार, लूणी)

सू.अ.अ. अपील संख्या : 383 / 2021

नं0 व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

01-02-2022

अपीलार्थी महेन्द्र सिंह पुत्र शेर सिंह चौहान निवासी रामेदवरा का बास, सर, गांव सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 18.11.2021 में उसके द्वारा (1) वर्ष 1985 से 16 नवम्बर 2021 तक खसरा न. 197 में सह खातेदार व विरासत में दर्ज नामों को जोड़ने के लिए जो दस्तावेज पेश किए गए, उनका सम्पूर्ण ब्यौरा व दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि (2) खसरा न. 197 को अलग-अलग भाग में बांटा गया है, उसका सम्पूर्ण ब्यौरा व सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि (3) अन्य बिन्दू से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित लोक सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।